प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.06.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25,000 रूपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक तंमचा व एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः-

आज दिनांक 12.06.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का ईनामी अपराधी साहिल पुत्र शकील निवासी ग्राम पटनी प्रतापपुर थाना झिंझाना जिला शामली तथा हाल पता आर्य नगर 02 नम्बर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को अवैध एक तंमचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराधी का विवरण

अभियुक्त एक शातिर किस्म का चोर अपराधी है। जिसका एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, वाहन चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। इसके विरूद्ध दिनांक 29.12.2023 को थाना लोनी पर गैंगस्टर अधिनियम में अभियोग की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त थाना लोनी से पूर्व में चोरी, वाहन चोरी के अभियोगो में जेल जा चुका है तथा इसके साथियों को भी पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

साहिल पुत्र शकील निवासी ग्राम पटनी प्रतापपुर थाना झिंझाना जिला शामली तथा हाल पता आर्य नगर 02 नम्बर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध चोरी/वाहन चोरी/आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा हत्या/लूट की घटना कारित करने वाली वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 18.05.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि अकबरपुर बहरामपुर मे रहने वाले श्यामदत्त को अभियुक्त गण सागर, शिवानी व अन्नु द्वारा चाकू से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था, जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त गण को पकडने हेतु कई टीमो का गठन किया गया तथा दिनांक 25.05.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गण गुरमीत सागर सिंह व उसकी पत्नी शिवानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त हत्या की घटना से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता वांछित चल रही थी, जिसकी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीमो द्वारा तत्परता से तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 12.06.2024 को थाना क्रोसिंग रिपब्लिक टीम पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित चल रही अभियुक्ता अन्नु पत्नी स्व0 अमित निवासी प्लोट नं0 ए- 5,6,7 म0नं0 104 साई उपवन सोसायटी चक शाहबेरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर को मुखबिर की सूचना पर ABES कट के पश्चिम दिशा की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

पूछताछ पर अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/05/2024 को मै और मेरा भाई गुरदीप सागर सिंह व उसकी पत्नी शिवानी स्कूटी पर बैठकर अकबरपुर बहरामपुर में श्यामदत्त पुत्र हरशरण दास के घर में लूट करने के इरादे से गये थे। मै व मेरा भाई गुरमीत सागर सिंह श्यामदत्त के घर पर रुक गये थे और शिवानी कमरा देखने का बहाना बनाकर श्यामदत्त की पत्नी को साथ लेकर बाहर चली गयी थी। जब मैने व मेरे भाई ने तिजोरी की चाबी लेने का प्रयास किया तो श्यामदत्त द्वारा हमारा विरोध किया गया था जिसके कारण मैने व मेरे भाई ने मिलकर श्यामदत्त के ऊपर चाकू के कई वार किये और उसकी जेब से मेरे भाई ने 8 हजार रुपये निकाल लिये इतने मे ही शिवानी भी वापस आ गयी और जब श्यामदत्त की पत्नी ने अपने पति को लहु लुहान पडा देखा तो उसने शोर मचाया तो हम लोग चाकू को हम वही फेककर स्कूटी से वहां से भाग गये थे। इस लूट की योजना को मेरे किराये के घर चक शाहबेरी में बैठकर बनाया गया था। मुझे इस बात की जानकारी थी की श्यामदत्त के पास काफी रुपया पैसा है, पैसे के लालच मे हम लोग श्यामदत्त के घर पुरानी जान पहचान का सहारा लेकर गये थे। श्यामदत्त के पास हमे सिर्फ 8 हजार रुपये मिले थे। जिसमे से मेरे भाई ने मुझे 03 हजार रुपये दिये थे जो सब खर्च हो चुके है। अब मेरे पास कोई पैसा नही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता नाम/पता</u>

अन्नु पत्नी स्व0 अमित निवासी साई उपवन सोसायटी चक शाहबेरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 32 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्ता अन्नु के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या/लूट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्ता के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना निवाडी पुलिस द्वारा लूट की झूठी घटना दर्शाकर रुपयें गबन करने की कोशिश करने वाला कलैक्शन एजेंट व उसका साथी गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना से सम्बन्धित 35,880/- रुपये व बैग बरामद।

दिनांक 11.06.24 को थाना निवाडी पर कलैक्शन एजेंट ओसामा पुत्र हारुन निवासी राधना थाना किठौर जनपद मेरठ ने तहरीर दी कि जब वह कम्पनी के पैसे कलेक्ट करके कम्पनी जा रहा था तो दो मोटर साइकिल सवार 04 अज्ञात लडके उसका बैग छीनकर भाग गये जिसमें 70180/- थे। थाना निवाडी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा सूचनाकर्ता को साथ लेकर घटनास्थल पहुंचकर जाँच की गयी। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज चैककर आस पास के लोगो से जानकारी की गयी एवंम् सूचनाकर्ता से घटना के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की गयी जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा कोई सही व स्पष्ट जानकारी नही दी गयी जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हुई।

तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुट व पूछताछ के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया तथा आज दिनांक 12.06.2024 को लूट की झूठी घटना दर्शाकर कम्पनी का पैसा गबन करने की कोशिश करने वाले कलैक्शन एजेंट 1. ओसामा पुत्र हारुन निवासी राधना थाना किठौर जनपद मेरठ व उसका साथी 2. पीतम सिंह उर्फ पिन्टू जाट पुत्र गजपाल निवासी ग्राम खिजरपुर थाना गभाना जनपद अलीगढ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना से सम्बन्धित 35880/- रुपये नगद व बैग बरामद। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ओसामा ने बताया कि मैं स्पन्दा स्पूर्ति कम्पनी में 02 वर्ष से कलैक्शन एजेंट का कार्य कर रहा हूँ तथा आस-पास के क्षेत्रों से कम्पनी के पैसे कलेक्ट करता हूँ। कल मैनें अपने साथी पीतम जो इन्का फिनटेक कम्पनी में ब्रांच पोर्ट फोलियों मैनेजर के पद पर कार्य करता है उसके साथ मिलकर कम्पनी के पैसे हडप करने के उद्देश्य से अपने साथ लूट की झूठी सूचना थाने पर दी थी क्योंकि हमारे मन में पैसो को लेकर लालच आ गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ओसामा पुत्र हारुन निवासी राधना थाना किठौर जनपद मेरठ, उम्र करीब 20 वर्ष,
2. पीतम सिंह उर्फ पिन्टू जाट पुत्र गजपाल निवासी ग्राम खिजरपुर थाना गभाना जनपद अलीगढ, उम्र करीब 27,

बरामदगी का विवरण-

घटना से सम्बन्धित 35,880/- रुपये व बैग बरामद,

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 12.06.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत मसूरी के पास धौलाना रोड से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्तों (1) गुलजार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद (2) अलीजान पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद (3) छोटू पुत्र अलीजान निवासी निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा 01 वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र युनुस निवासी राज्जूपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र 42 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण

अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन का फर्जी एग्रीमैन्ट बनवाना, लोगों से पैसे हड़प लेना तथा पैसे वापस मागने पर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देना आदि। जिसके संबंध में इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मसूरी पर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

(1) गुलजार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष

(2) अलीजान पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 55 वर्ष

(3) छोटू पुत्र अलीजान निवासी निगरावठी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

वांछित अभियुक्त

अनीस पुत्र युनुस निवासी राज्जूपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र 42 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त गुलजार व अलीजान पर पूर्व में थाना मसूरी पर धोखाधड़ी व मारपीट के 03 - 03 अभियोग व अभियुक्त छोटू उपरोक्त पर थाना मसूरी पर धोखाधड़ी व मारपीट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मसूरी पर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा घरो में चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 हार पीली धातु , 01 जोड़ी पैरों की पायल सफेद धातु, 02 जोडी बिधुए सफेद धातु , 01 मगंलसूत्र पीली धातु व 01 मोबाइल फोन व 3307 रुपये बरामद।

दिनांक 07.06.2024 को थाना टीलामोड़ पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सुहेल पुत्र तौहीद नि0 ग्राम बझैडा कला थाना कपूर पुर जिला हापुड ,हाल पता गरिमा गार्डन साई मन्दिर के पास थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष द्वारा वादी के कमरे का ताला तोडकर एक चाँदी का हार जिस पर सोने का पानी चढा हुआ है ।, दोनो पैर की पायल, 02 जोड़ी बिछुए, गले का मंगल सूत्र, 01 मोबाइल फोन व 3300/-रुपये चोरी कर लिए है । तत्काल टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट व सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 12.06.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सुहेल पुत्र तौहीद नि0 ग्राम बझैडा कला थाना कपूर पुर जिला हापुड ,हाल पता गरिमा गार्डन साई मन्दिर के पास थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को भौपुरा तिराहे पर लोनी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 01 हार पीली धातु , 01 जोड़ी पैरो की पायल सफेद धातु, 02 जोडी बिधुए सफेद धातु , 01 मगंलसूत्र पीली धातु व 01 मोबाइल फोन व 3307 रुपये बरामद हुए । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

सुहेल पुत्र तौहीद नि0 ग्राम बझैडा कला थाना कपूर पुर जिला हापुड ,हाल पता गरिमा गार्डन साई मन्दिर के पास थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- 01 हार पीली धातु , 01 जोड़ी पैर की पायल सफेद धातु, 02 जोडी बिधुए सफेद धातु , 01 मगंलसूत्र पीली धातु व 01 मोबाइल फोन व 3307 रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 29.05.2024 को वादी सौरभ त्यागी पुत्र प्रदीप त्यागी निवासी म0नं0 103 सैक्टर 23 बसन्त कुंज मधुबन बापूधाम गाजियाबाद द्वारा उनसे दो अज्ञात व्यक्तियो द्वारा बातों में उलझाकर उनके दो मोबाईल फोन व मोटर साईकल ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी गई । जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी । घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त 1. विशाल पुत्र शिवकुमार निवासी म0न0 96 अम्बेडकर कालौनी लोहियानगर थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 2. सुहेब पुत्र यामीन निवासी म0न078/01 पीले क्वार्टर लोहियानगर थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन चौकी क्षेत्र सैक्टर 3 राजनगर से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो दोनों ने एक स्वर मे दिनांक 28.05.2024 को डी0पी0एस0 रेलवे फाटक के पास से एक व्यक्ति से 02 मोबाइल और मोटर साइकिल व उसकी जेब से कुछ रूपये लेने की स्वीकारोक्ति की।

बरामदगीः-

1. एक मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)
2. 400 रूपये

अभियुक्त का नाम पता-

1. विशाल पुत्र शिवकुमार निवासी म0न0 96 अम्बेडकर कालौनी लोहियानगर थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
2. सुहेब पुत्र यामीन निवासी म0न078/01 पीले क्वार्टर लोहियानगर थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम